क्रम-संख्या--219

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०--4
लाइसेन्स सं० डब्लू० पी०--41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेंट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 19 मार्च, 1987
फाल्गुन 28, 1908 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 418/सत्रह--वि0-1-1 (क)-3-1987
लखनऊ, 19 मार्च, 1987

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1987 पर दिनांक 18 मार्च, 1987 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1987 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1987)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 और संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

अध्याय--एक
प्रारम्भिक

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2, 3 और 4 इकतीस दिसम्बर, 1986 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी, धारा 5 से 18 इक्कीस जनवरी, 1987 को प्रवृत्त हुई समझी जायेंगी और शेष धाराएं तुरन्त प्रवृत्त होंगी।

अध्याय--दो

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहां कहीं भी शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे।

अध्याय--तीन

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

4--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1986" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1987" रख दिये जायेंगे।

अध्याय--चार

उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959 की धारा 2 में नया खण्ड (10-क) का बढ़ाया जाना

5--उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (10) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्--

"(10-क) 'वाणिज्यिक भवन' का तात्पर्य ऐसे किसी भवन से है जो कारखाना न हो और जिसका उपयोग या अध्यासन कोई व्यापार या वाणिज्य या उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक या प्रासंगिक कोई कार्य करने के लिये किया जाय;"

धारा 3 का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायगी और सदैव से बढ़ा दी गयी समझी जायगी, अर्थात्--

"(4) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी विज्ञप्ति के कारण कोई क्षेत्र उपधारा (1) के अधीन संगठित किसी नगर में सम्मिलित किया जाय, वहां ऐसे क्षेत्र पर इस या किसी अन्य अधिनियमिति के अधीन जारी की गयी या बनायी गयी और ऐसे क्षेत्र को उस नगर में सम्मिलित किये जाने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी विज्ञप्तियां, नियम, विनियम, उपविधियां, आदेश, निदेश लागू हो जायेंगे, और इस अधिनियम के अधीन आरोपित समस्त कर, फीस और शुल्क उपर्युक्त क्षेत्र में लगाये और वसूल किये जायेंगे और किये जाते रहेंगे।"

धारा 135 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 135 में और उसके प्रतिबन्धात्मक खण्ड में क्रमशः शब्द और अंक "50,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपये" और शब्द और अंक "10,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 136 का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 136 में,--

(एक) उपधारा (1) में, शब्द और अंक "50,000 रुपये" के स्थान पर शब्द "दो लाख रुपये" रख दिये जायेंगे; और

(दो) उपधारा (2) में, खण्ड (क) में, शब्द "पांच लाख रुपये" के स्थान पर शब्द "दस लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 174 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 174 में, खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, छात्रावासों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, नियम द्वारा निश्चित की गयी दर से मूल्यापकर्षण व्यय घटाने के पश्चात् भवन निर्माण की वर्तमान अनुमानित लागत और उससे संलग्न भूमि के अनुमानित मूल्य को जोड़कर निकाली गयी धनराशि का 5 प्रतिशत से अन्यून भाग जिसे एतदर्थ बनाये गये नियम द्वारा निश्चित किया जायगा; और"

धारा 207 का संशोधन

10--मूल अधिनियम की धारा 207 में, शब्द "नगर के" स्थान पर शब्द "समय-समय पर नगर या उसके किसी भाग के" रख दिये जायेंगे।

धारा 208 का संशोधन

11--मूल अधिनियम की धारा 208 में, शब्द "उसके किसी कक्ष" के स्थान पर शब्द "उसके किसी भाग" रख दिये जायेंगे।

धारा 210 का संशोधन

12--मूल अधिनियम की धारा 210 में, शब्द "उसके किसी कक्ष" के स्थान पर शब्द "उसके किसी भाग" रख दिये जायेंगे।

धारा 211 का संशोधन

13--मूल अधिनियम की धारा 211 में, उपधारा (2) में, शब्द "नगर में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से नई सूची के पूर्ण होने के पश्चात् पड़ने वाली पहली अप्रैल अथवा पहली अक्तूबर, जो भी पहले हों, तक" के स्थान पर शब्द "नगर या उसके भाग में उस सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक" रख दिये जायेंगे।

धारा 213 का संशोधन

14--मूल अधिनियम की धारा 213 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "मूल्यांकन अथवा निर्धारण छल, भ्रान्त कथन अथवा त्रुटियों के कारण गलत हो गया हो" के स्थान पर शब्द "मूल्यांकन या निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण छल, भ्रान्त कथन या त्रुटियों के कारण गलत किया गया है" रख दिये जायेंगे।

अध्याय--पांच

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 की धारा 141 का संशोधन

15--संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 141 में, उपधारा (1) में, शब्द "नगरपालिका में सभी भवनों या भूमि या दोनों की एक कर-निर्धारण सूची तैयार करायेगा" के स्थान पर शब्द "समय-समय पर नगरपालिका या उसके किसी भाग में सभी भवनों या भूमि या दोनों की एक कर-निर्धारण सूची तैयार करायेगा" रख दिये जायेंगे।

धारा 145 का संशोधन

16--मूल अधिनियम की धारा 145 में, उपधारा (2) में, शब्द "नगरपालिका में उक्त सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी पहली अप्रैल तक" के स्थान पर शब्द "नगरपालिका या उसके भाग में उक्त सूची के प्रभावी होने के दिनांक से और नई सूची के पूर्ण होने के ठीक पश्चात् आगामी मास के प्रथम दिन तक" रख दिये जायेंगे।

धारा 147 का संशोधन

17--मूल अधिनियम की धारा 147 में, उपधारा (1) में, खण्ड (ग) में, शब्द "कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत मूल्यांकन या कर निर्धारण हो गया है" के स्थान पर शब्द "मूल्यांकन या कर निर्धारण गलत हो गया है या जिसका मूल्यांकन या निर्धारण कपट, मिथ्या व्यपदेशन या त्रुटि के कारण गलत किया गया है" रख दिये जायेंगे।

अध्याय--छः

वैधीकरण

18--किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 के प्रारम्भ के पूर्व उद्ग्रहीत, भारित या संग्रहीत या उद्ग्रहीत, भारित या संग्रहीत किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कर, फीस या प्रभार, और यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसे कर, फीस या प्रभार के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह के सम्बन्ध में ऐसे प्रारम्भ के पूर्व कृत कोई कार्य या कार्यवाही उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायगी मानो ऐसा निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह या कार्य या कार्यवाही उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों और उपविधियों के अधीन किया गया या की गयी हो।

(2) संदेहों के निवारण के लिए, एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) की किसी बात से यह नहीं समझा जायगा कि वह किसी व्यक्ति को--

(क) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी कर, फीस या प्रभार के किसी निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रह पर आपत्ति करने, या

(ख) उसके द्वारा भुगतान की गयी किसी ऐसी धनराशि को, जो उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1987 द्वारा यथा संशोधित, यथास्थिति, अध्याय चार या अध्याय पांच में निर्दिष्ट मूल अधिनियम के अधीन उससे किसी कर, फीस या प्रभार के रूप में उसके द्वारा देय धनराशि से अधिक भुगतान की गयी हो, वापस किये जाने का दावा करने से रोकती है।

अध्याय–सात

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

19—(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1986, और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1987 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1986 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 1987

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित अध्याय दो, तीन, चार, पांच और छः में निर्दिष्ट किसी अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
श्रीनाथ सहाय,
सचिव।

No. 418 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-3/1987

Dated Lucknow, March 19, 1987

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1987, (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 3 of 1987), as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 18, 1987.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (AMENDMENT) ACT, 1987

(U. P. Act no. 3 of 1987)

[*As passed by the U. P. Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, *the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act*, 1978, *the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam*, 1959 *and the U. P. Municipalities Act*, 1916.

It is hereby enacted in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1987.

(2) Sections 2, 3 and 4 shall be deemed to have come into force on December 31, 1986, sections 5 to 18 shall be deemed to have come into force on January 21, 1987 and the remaining sections shall come into force at once.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES, NOTIFIED AREAS AND TOWN AREAS (ALPAKALIK VYAVASTHA) ADHINIYAM, 1977

Amendment of section 2 of U. P. Act no. 15 of 1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhiniyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1986" wherever occurring, the word and figures "December 31, 1987" shall be *substituted*.

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, *for* the word and figures "December 31, 1986" the word and figures "December 31, 1987", shall be *substituted*.

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS (THIRD AMENDMENT) ACT, 1978

Amendment of section 24 of U. P. Act no. 35 of 1978

4. In section 24 of the Uttar Pradesh, Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, *for* the word and figures "December 31, 1986", the word and figures "December 31, 1987" shall be *substituted*.

CHAPTER IV

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH NAGAR MAHAPALIKA ADHINIYAM, 1959

Insertion of new clause (10-A) in section 2 of U. P. Act no. 11 of 1959

5. In section 2 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, *after* clause (10), the following clause shall be *inserted*, namely :—

"(10-A) 'Commercial building' means any building not being a factory which is used or occupied for carrying on any trade or commerce or any work connected therewith or incidental or ancillary thereto."

Amendment of section 3

6. In section 3 of the principal Act, *after* sub-section (3), the following sub-section shall be and shall always be deemed to have been *inserted*, namely:—

"(4) Where by reason of a notification under sub-section (2), any area is included in a city constituted under sub-section (1), such area shall thereby become subject to all notifications, rules, regulations, bye-laws, orders, directions issued or made under this or any other enactment and in force in the City at the time immediately preceding the inclusion of such area, and all taxes, fees and charges imposed under this Act, shall be and continue to be levied and collected in the aforesaid area."

Amendment of section 135

7. In section 135 of the principal Act, *for* the words "fifty thousand rupees" the word "Two lakhs of rupees" and in the proviso threreof *for* the words "ten thousand rupees" the words "fifty thousand rupees" shall be *substituted* respectively.

Amendment of section 136

8. In section 136 of the principal Act,—

(I) in sub-section (1) *for* the words "fifty thousand rupees" the words "two lakhs of rupees" shall be *substituted*, and

(II) in sub-section (2) in clause (*a*) *for* the words "five lakhs of rupees" the words "ten lakhs of rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 174

9. In section 174 of the principal Act. *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) in the case of railway stations, colleges, schools, hostels, factories, commercial buildings and other non-residential buildings, a proportion not below 5 per cent. to be fixed by rule made in this behalf of the sum obtained by adding the estimated present cost of erecting the building less depreciation at a rate to be fixed by rules, to the estimated value of the land appurtenant thereto, and"

Amendment of section 207

10. In section 207 of the principal Act, *for* the words "in the City to be prepared" the words "in the City or part thereof to be prepared from time to time" shall be *substituted*.

Amendment of section 208

11 In section 208 of the principal Act, *for* the words "any ward thereof" the words "any part thereof" shall be *substituted*.

Amendment of section 210

12 In section 210 of the principal Act, *for* the words "any ward thereof" the words "any part thereof" shall be *substituted*.

Amendment of section 211

13. In section 211 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "in the City and until the first day of April or the first day of October next following the completion of the new list, whichever is earlier" the words "in the City or part thereof and until the first day of the month next following the completion of the new list" shall be *substituted*.

Amendment of section 213

14. In section 213 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*c*) *for* the words "has been incorrectly valued or assessed by reason of fraud, misrepresentation or mistake", the words "has become incorrectly valued or assessed or which, by reason of fraud, misrepresentation or mistake, has been incorrectly valued or assessed" shall be *substituted*.

3107

CHAPTER V

AMENDMENT OF U. P. MUNICIPALITIES ACT, 1916

Amendment of section 141 of U. P. Act 11 of 1916

15. In section 141 of the U. P. Municipalities Act, 1916, hereinafter in this chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "in the municipality to be prepared" the words "in the municipality or any part thereof to be prepared from time to time" shall be *substituted.*

Amendment of section 145

16. In section 145 of the principal Act, in sub-section (2), *for* the words "in the municipality and until the first day of April next following the completion of a new list" the words "in the municipality or part thereof and until the first day of the month next following the completion of the new list" shall be *substituted.*

Amendment of section 147

17. In section 147 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (*c*), *for* the words "has been incorrectly valued or assessed by reason of fraud, misrepresentation or mistake", the words "has become incorrectly valued or assessed or which, by reason of fraud, misrepresentation or mistake, has been incorrectly valued or assessed" shall be *substituted.*

CHAPTER VI

Validation

18. (1) Notwithstanding any judgement, decree or order of any Court or other authority to the contrary, any tax, fee or charge, levied, charged or collected or purporting to have been levied, charged or collected before the commencement of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1987 and any action taken or thing done before such commencement in relation to the assessment, re-assessment, levy or collection of such tax, fee or charge under the provisions of the principal Act referred to in chapter IV or chapter V, as the case may be, and the rules made thereunder shall be deemed to be as valid and effective as if such assessment, re-assessment, levy or collection or action or thing had been made, taken or done under the principal Act referred to in chapter IV or chapter V, as the case may be, as amended by the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1987 and the rules and bye-laws made thereunder.

(2) For the removal of doubts, it is hereby declared that nothing in sub-section (1) shall be construed as preventing any person—

(*a*) from questioning in accordance with the provisions of the principal Act referred to in chapter IV or chapter V, as the case may be, as amended by the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1987, any assessment, re-assessment, levy or collection of any tax, fee or charge referred to in sub-section (1); or

(*b*) from claiming refund of any amount paid by him in excess of the amount due from him by way of any tax, fee or charge under the principal Act referred to in chapter IV or chapter V, as the case may be, as amended by the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1987.

CHAPTER VII

MISCELLANEOUS

Repeal and savings

19. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1986, and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1987, are hereby repealed. U. P. Ordinance no. 15 of 1986 and U. P. Ordinance no. 1 of 1987

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under any of the Acts, referred to in Chapters II, III, IV, V and VI, as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
S. N. SAHAY,
Sachiv.

टी0एस0यू0पी0—ए0पी0 188 सा0 (विधा0)—(3247)—1987—850 (सेक0)।